



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2021/HQ/Admin/RTI-1177

New Delhi: 17.11.2021

श्री सुरेंद्र सिंह

पुत्र स्वर्गीय चंद्रभान सिंह

निवासी ग्राम नगला मोती,

मौजा-रीतौर, तहसील भर्थना, जिला-इटावा

उत्तर प्रदेश-206126

मोबाइल-9634260511

**विषय:** सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना।

संदर्भ: आपका आरटीआई आवेदन दिनांक 28.10.2021 जो इस कार्यालय में दिनांक 01.11.2021 को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त आवेदन के सन्दर्भ में, संबंधित कार्यालय से प्राप्त सूचना संलग्न है।

आशा है उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप अपीलीय प्राधिकारी को सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिनका नाम और पता इस प्रकार है;


सुश्री आर० पी० छिबबर

समूह महाप्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,

5 वीं मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग,

प्रगति मैदान, नई दिल्ली -110001

संलग्न: 03 पृष्ठ

  
(एस. के. पण्डा)

संयुक्त महाप्रबंधक / प्रशा. (ज. सू. अ.)

011-23454707



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड  
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)  
**DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED**  
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

TDL/EN/RTI/212(A)

Date: 17.11.2021


Jt. General Manager/Admn.(CPIO)  
DFCCIL  
New Delhi

Sub :- Providing information w.r.t. RTI Application received under the RTI Act 2005.

Ref. :- Your letter no. 2021/HQ/ADMIN/RTI-1177 dtd. 02.11.2021.

In continuation to this office letter of even no. dtd. 08.11.2021, the reply against application of Shri Surendra Singh S/o Shri Chandrabhan Singh received from Dy. PM/CNB is attached herewith for further action at your end please.

DA: Reply of RTI of Shri Surendra Singh

  
(Arun Kumar Adlakha)  
Dy. Chief Project Manager/HR  
DFCCIL/Tundla



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड  
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम  
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED  
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

पत्रांक: CNB/EN/RTI/16(A)/Y-21/M-11/03/21

दिनांक: -16.11.2021

सेवामें,

महाप्रबन्धक/समन्वय,  
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,  
टुण्डला (आगरा)

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम-2005, के अन्तर्गत, ग्राम-रीतौर, तहसील-भरथना, जिला-इटावा की अर्जित भूमि श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व: चन्द्रभान सिंह, गाटा सं0-491 रकबा 0.0530हे0 के द्वारा मांगी गई सूचना के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-1. आवेदक का पत्र 28.10.2021

2. संयुक्त महाप्रबन्धक/एण्डमीन (सीपीआईओ), नई दिल्ली, का पत्र 2021/HQ/ADMIN/RTI-1177  
Dated 02.11.2021

3. इस कार्यालय का पत्र सं0 CNB/EN/RTI/16(A)/Y-21/M-11/03 Date 04.11.2021

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व: चन्द्रभान सिंह निवासी, ग्राम-नगला मोती, मौजा-रीतौर, नगला मोती, मौजा-रीतौर, तह0-भरथना जनपद-इटावा संयुक्त महाप्रबन्धक/एण्डमीन (सीपीआईओ), नई दिल्ली, को सम्बोधित हैं, संयुक्त महाप्रबन्धक/एण्डमीन (सीपीआईओ), नई दिल्ली, के पत्र 2021/HQ/ADMIN/RTI-1177 Dated 02.11.2021 के साथ इस कार्यालय में उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक/एच0आर0/टुण्डला की ई-मेल के माध्यम से दिनांक 02.11.2021 को प्राप्त हुआ है। आवेदक द्वारा मांगी सूचना में आवेदक के सम्बन्ध में बिन्दुवार आख्या निम्नलिखित है:-

1. बिन्दु-1 व 2 के अन्तर्गत मांगी गई सूचना, सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी (भू0अ0), कानपुर नगर से सम्बन्धित हैं। उक्त जानकारी प्रदान करने हेतु सन्दर्भित पत्र-3 (संलग्न)के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी/अपरजिलाधिकारी (भू0अ0), कानपुर नगर को आवश्यक सूचना प्रदान किये जाने हेतु अग्रसारित किया जा चुका है।
2. बिन्दु-3 के अन्तर्गत मांगी गई सूचना, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सम्बन्धित दस्तावेज के कुल 66 पृष्ठ हैं। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार, प्रति पृष्ठ-2 रू0 की दर से कुल धनराशि रू0-132/- (एक सौ बत्तीस रूपये मात्र) आवेदक द्वारा सम्बन्धित लोक सूचना प्राधिकारी को जमा कराते हुये प्राप्त कर सकता है।
3. बिन्दु-4, 5, व 6 के अन्तर्गत प्रस्तर-1 के अनुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
4. बिन्दु-7 के अन्तर्गत गाटा सं0 491 के अन्तर्गत घोषित अभिनिर्णय के अनुसार, भूमि का कब्जा प्राप्त करना शेष है। सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत स्पष्टीकरण दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।
5. बिन्दु-8 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। आवेदक किसी भी प्रकार का निर्देश दिये जाने हेतु सक्षम नहीं है।
6. बिन्दु-9 व 10 के अन्तर्गत प्रस्तर-1 के अनुसार कार्यवाही की जा चुकी है।

*(Signature)*

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में स्पष्टीकरण, प्रश्नों के उत्तर इत्यादि की अपेक्षा के साथ ही निर्देश दिये जाने की चेष्टा की गई है, जबकि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत भारतीय नागरिक द्वारा लोक सूचना अधिकारियों से किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण, प्रश्नों के उत्तर, इत्यादि की अपेक्षा नहीं कर सकता ना ही लोक सूचना प्राधिकारी को निर्देश दे सकता है।

अतः उक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार

(एच0सी0सिंह)  
उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक  
कानपुर।

पत्रांक- CNB/EN/RTI/16(A)/Y-21/M-11/2)

दि0-16.11.2021

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक/एच0 आर0 डी0एफ0सी0सी0आई0एल0, दूण्डला।
- 2-सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी (भू0अ0); कानपुर नगर।

(एच0सी0सिंह)  
उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक  
कानपुर।